राजस्व वाद संख्या 198/2024 उनवान खेताराम बनाम मांगीलाल वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 198/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
1. खेताराम पुत्र पदमाराम जाति ब्राह्मण निवासी कृष्णपुरा, भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. मांगीलाल पुत्र पदमाराम 2. गोपाराम पुत्र घमण्डीराम 3. हरीराम पुत्र घमण्डीराम 4. गोमाराम पुत्र मगनीराम 5. भमराराम पुत्र नारणाराम जातियान ब्राह्मण निवासीगण कृष्णपुरा, भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 6. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थी वकील – श्री करनाराम कड़वासरा

विप्रार्थी संख्या 2,3 व 5 के वकील– श्रीराम विश्नोई

दिनांकः– 11.02.2025

–: निर्णय :–

प्रार्थी खेताराम पुत्र पदमाराम जाति ब्राह्मण निवासी कृष्णपुरा, भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत मौजा कृष्णपुरा पटवार क्षेत्र भंवार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 431/192 रकबा 2.1691 हैक्टेयर, खसरा संख्या 611/192 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432/192 रकबा 1.4488 हैक्टेयर, खसरा संख्या 609/192 रकबा 2.2258 हैक्टेयर, खसरा संख्या 428/192 रकबा 2.6224 हैक्टेयर, खसरा संख्या 615/423 रकबा 4.1602 हैक्टेयर के खेत आए हुए हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 614/423, 607/192 भूमि गै.मु.रास्ता राज्य सरकार की स्कीम (मौके पर पुराना रास्ता होने पर गै.मु.रास्ता करने) के तहत हल्का पटवारी ने मिलकर मौके पर चल रहे रास्ते से भिन्न स्थान पर रास्ता काट दिया तथा अभी [illegible] रास्ते पर पक्की डामर सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:45:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

स्वीकृत हुई है, जिससे मौके पर चल रहे रास्ते अनुसाार ही सड़क बनवाने हेतु उक्त गलत तरमीम को शुद्ध किया जाना आवश्यक है। नकल जमाबंदी व नक्शा संलग्न है। मौके पर चल रहे रास्ते से भिन्न स्थान पर पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक द्वारा नक्शे से भिन्न स्थान की तरमीम की गई है, जिसे मौके पर चल रहे रास्ते अनुसार संलग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में पीला कलर से दर्शाया गया है। उसी अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्ती करवाने का प्रार्थी हकदार होने से नक्शा दुरुस्त का प्रार्थना पत्र पेश है। तरमीम के वक्त मौके पर चल रहे रास्ते अनुसार तरमीम नहीं कर नक्शे में भिन्न तरमीम अवैध रूप से लिपिकीय त्रुटि से किया गया है, जिससे उक्त लिपिकीय भूम को दुरुस्त करवाने का प्रार्थी कानूनी हकदार होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में तरमीम गलत अंकन होने से अभी पक्की सड़क स्वीकृत होने से सड़क बनाने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर चल रहे रास्ते अनुसार रेकर्ड दुरस्ती करवाने के विधि सम्मत अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त नक्शा त्रुटि की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी, अभी उक्त रास्ते पर पक्की डामर सड़क स्वीकृत होने से सड़क की नाप करने से जानकारी होने से नकलें इत्यादि लेने से जानकारी में आने से प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय हो होने से प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा कृष्णपुरा पटवार क्षेत्र भंवार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 431/192 रकबा 2.1691 हैक्टेयर, खसरा संख्या 611/192 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432/192 रकबा 1.4488 हैक्टेयर, खसरा संख्या 609/192 रकबा 2.2258 हैक्टेयर, खसरा संख्या 428/192 रकबा 2.6224 हैक्टेयर, खसरा संख्या 615/423 रकबा 4.1602 हैक्टेयर भूमि में चल रहे रास्ते के खसरा नम्बर 614/423, 607/192 भूमि गै.मु.रास्ता को मौके पर चल रहे रास्ते अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्ती करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5 के ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:45:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर ⁄ 2024 ⁄ 1333 दिनांक 27.08.2024 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ. ⁄ 2024 ⁄ 2852 दिनांक 06.09.2024 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.08.2024 के अनुसार **''ग्राम कृष्णपुरा के खसरा संख्या 608 ⁄ 192, 610 ⁄ 192, 612 ⁄ 192 रकबा क्रमशः 0.1295, 0.0647 व 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जो कि नामान्तरकरण संख्या 69 स्वीकृति दिनांक 02.08.2017 के जरिए गै.मु.रास्ता दर्ज हुआ। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि उक्त रास्ता मौका व रेकर्ड में भिन्नता है। उक्त रास्ता मौके पर चल रहे रास्ते के अनुसार दर्ज नहीं है।'' तहसीलदार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार मौका प्रतिवेदन के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है।** पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5 के अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5 के अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 198 ⁄ 2024 उनवान खेताराम बनाम मांगीलाल वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.08.2024 के अनुसार मौजा कृष्णपुरा पटवार क्षेत्र भंवार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 609 ⁄ 192 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 429 ⁄ 192 रकबा 3.5185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 ⁄ 192(1) रकबा 1.2000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 ⁄ 192(2) रकबा 0.2488 हैक्टेयर, खसरा संख्या 608 ⁄ 192 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 610 ⁄ 192 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 611 ⁄ 192 रकबा 1.4461 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431 ⁄ 192 रकबा 1.5000 हैक्टेयर व खसरा संख्या 612 ⁄ 192 रकबा 0.0726 हैक्टेयर भूमि की तरमीम रास्ते की भूमि को मौका फर्द में बरंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:45:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। नजरी नक्शे में परिशिष्ट ''अ'' वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज (नामान्तरकरण संख्या 69) तथा परिशिष्ठ ''ब'' मौके पर चल रहे रास्ते को प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के रूप में दर्शाया गया है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.08.2024 के अनुसार परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित परिशिष्ट ''ब'' अनुसार **राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2024/2852 दिनांक 06.09.2024 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.08.2024, परिशिष्ट 'ब', खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

11.02.2025

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:45:54 IST
Reason: SelfAttested